

भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक द्वारा  
गुरुवार 21 जून 2012 को पत्रकार परिषद में प्रसारित वक्तव्य

**मुख्यमंत्री कुष्ठपीडितों की समस्याएं सुलझाएंगे : राम नाईक**

**मुंबई, गुरुवार:** “पिछले चार वर्षों से प्रलंबित महाराष्ट्र के कुष्ठपीडितों की 11 माँगों पर सकारात्मक दृष्टी से जल्द से जल्द निर्णय करेंगे”, ऐसा स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया. भाजपा नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक तथा विधान परिषद के विपक्ष के नेता श्री. विनोद तावडे के नेतृत्व में गए कुष्ठपीडितों के प्रतिनिधी मंडल को कल रात मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया. प्रतिनिधी मंडल में महाराष्ट्र कुष्ठपीडित संगठन के अध्यक्ष श्री. बळीराम तांबडे, सलाहगार श्री. भिमराव मधाळे, निमंत्रक श्री. रसुल मुल्ला, तथा सर्वश्री सफी शेख, विजय पाटील, पांडुरंग धनावटे, मोहन पंध्राम, प्रकाश पाटील, आदी कुष्ठपीडितों के नेता थे, ऐसी जानकारी श्री. राम नाईक ने पत्रकार परिषद में दी. उस समय श्री. बळीराम तांबडे व श्री. भिमराव मधाळे भी उपस्थित थे.

कुष्ठपीडितों की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, “महाराष्ट्र में 39 जगह कुष्ठपीडितों ने अपनी बस्तीयाँ बनायी है, जिनमें लगभग 65 हजार कुष्ठपीडित रहते हैं. इनकी समस्याओं के संदर्भ में 6 अगस्त 2008 को याने लगभग चार वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री. आर.आर. पाटील के साथ विचार विमर्श कर कुछ निर्णय लिए गए थे. लगातार याद दिलाने के बावजूद उनपर अंमल नहीं हुआ. दुसरी ओर वर्ष 2005 में देश से कुष्ठरोग का निर्मूलन हुआ है ऐसा ऐलान भारत सरकार ने किया था. मगर हालही में 13 मार्च 2012 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने चौका देनेवाली जानकारी दी कि देश में 1,26,800 नए कुष्ठरुग्ण मिले है. इतनाही नहीं तो जब विश्व के 2,28,474 नए रोगीयों से हम तुलना करें तो 55.5 प्रति शत नए कुष्ठरुग्ण अपने देश में है. महाराष्ट्र में भी वर्ष 2010 में 15,498 नए कुष्ठरुग्ण मिलें जिससे इनकी समस्या और भी गंभीर बनी है. इसिलिए हमने उसकी ओर मुख्यमंत्री का ध्यान खिंचना आवश्यक समझा.”

..2..

श्री. राम नाईक ने आगे कहा कि कुष्ठपीडितों के प्रतिनिधी मंडल ने दिए माँग पत्र पर सहृदयतासे विचार कर जल्द से जल्द निर्णय करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया. प्रमुख 11 माँगें इसप्रकार हैं:

- 1) जिसतरह स्वयंसेवी संस्थाओं में रहेवाले कुष्ठपीडितों का अनुदान 1 अप्रैल 2012 से बढ़ा कर प्रति व्यक्ति प्रति माह रु.2,000 किया गया है उसी प्रकार स्वयंगठीत कुष्ठपीडितों की बस्तियों में रहेवाल्लों का अनुदान भी बढ़ाना चाहिए.
- 2) गरीबी रेखा के निचे के नागरिकों को मिलनेवाली सभी सुविधाएं, विशेष रूप से कम दाम में जीवनावश्यक वस्तुएं, कुष्ठपीडितों को भी मिलें.
- 3) कुष्ठपीडितों के युवा बच्चों को रिक्षा का परमिट मिलें.
- 4) राज्यसभा की याचिका समिति ने की शिफारिशों पर अंमल किया जाए.
- 5) जहाँ-जहाँ कुष्ठपीडितों की बस्ती है उस के भूमि लेख 7/12 पर वैसे स्पष्ट लिखा जाए और उनका पुनर्वसन किया जाए.
- 6) पानी, बिजली तथा निवास कर में 75 प्रतिशत रियायत मिलें.
- 7) कुष्ठपीडितों को स्वयंरोजगार के लिए कर्जा दिया जाए.
- 8) कुष्ठपीडितों के पढे - लिखे बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाए.
- 9) कुष्ठपीडितों के बच्चों को उच्च शिक्षा के शुल्क में 75 प्रति शत रियायत मिलें.
- 10) कुष्ठपीडितों की बस्ती में उनके जख्मों पर इलाज करने के लिए योग्य मात्रा में साधन तथा दवा दी जाएं.
- 11) पिछले 12 वर्षों से प्रदेश में कुष्ठपीडित पुनर्वास समिति बनायी नहीं है, उसका गठन कर उसमें महाराष्ट्र कुष्ठपीडित संगठन के दो सदस्यों को लिया जाए जिससे उनकी समस्याएं हल करना आसान होगा.

(कार्यालय मंत्री)